प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट दिनाँक 29.10.2026

थाना दोघट पुलिस व स्वाट टीम बागपत तथा एसटीएफ टीम गौतमबुद्धनगर की टीमों ने थाना दोघट के मु0अ0सं0 164/26 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में बांछित 50,000-50,000 रूपये के ईनामिया 02 अभियुक्तों (1.नीरज मुठभेड में घायलावस्था में) तथा 2.मनोज को किया गिरफ्तार, अभियुक्त नीरज के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 03 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस .315 बोर बरामद।





कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना दोघट पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। थाना दोघट पर पंजीकृत मु0अ0स0 164/2026 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित 01 ईनामिया अभियुक्त नीरज को थाना दोघट पुलिस व स्वाट टीम बागपत की संयुक्त टीम द्वारा चैकिंग के दौरान पुलिस मुठभेड़ के उपरांत घायलावस्था में गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 28.10.2026 को थाना दोघट पुलिस को सूचना मिली कि अभियुक्त नीरज ग्राम टीकरी –सूजती के जंगल में अपराध करने की फिराक में छुपा है। इस सूचना पर थाना दोघट पुलिस व स्वाट टीम बागपत द्वारा ग्राम टीकरी –सूजती के जंगल में

दिल्ली देहरादून अंडरपास के निकट पहुँचकर चैकिंग के दौरान अभियुक्त को आता देख अभियुक्त को आत्मसमर्पण के लिए कहने पर अभियुक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्यवाही में अभियुक्त घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार कर उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचे .315 बोर मय 03 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस .315 बोर, बरामद हुए हैं।

उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में थाना दोघट पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

➢ अभियुक्त मनोज की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत एसटीएफ टीम गौतमबुद्धनगर एवं थाना दोघट पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा थाने के मु0अ0स0 164/26 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वाँछित 50,000 रूपये के इनामी 01 अभियुक्त मनोज पुत्र राजकिरण निवासी ग्राम अलीनगर थाना झिंझाना जनपद शामली उम्र करीब 46 वर्ष को गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त मनोज का आपराधिक इतिहास

1.मु0अ0स0 45/24 धारा 457/380/411 भादवि थाना दोघट जनपद बागपत।
2.मु0अ0स0 52/24 धारा 379/427/411 भादवि थाना दोघट जनपद बागपत।
3.मु0अ0स0 164/2026 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना दोघट जनपद बागपत।
4.मु0अ0स0 344/26 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना दोघट जनपद बागपत।

नोट- दोनो अभियुक्तों मनोज व नीरज की गिरफ्तारी पर श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक मेरठ परिक्षेत्र मेरठ द्वारा 50,000-50,000 रूपये का इनाम घोषित किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. नीरज पुत्र वेदपाल निवासी ग्राम अट्टा भभीसा थाना कांधला जनपद शामली उम्र करीब 30 वर्ष। (घायल अवस्था में)

बरामदगी का विवरण—

- अभियुक्त नीरज के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचे .315 बोर मय 03 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस .315 बोर बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त नीरज का आपराधिक इतिहास

1.मु0अ0स0 45/24 धारा 457/380/411 भादवि थाना दोघट जनपद बागपत।
2.मु0अ0स0 52/24 धारा 379/427/411 भादवि थाना दोघट जनपद बागपत।
3.मु0अ0स0 164/2026 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना दोघट जनपद बागपत।
4.मु0अ0स0 344/26 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना दोघट जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-थानाध्यक्ष श्री केवल सिंह थाना दोघट जनपद बागपत मय टीम।
2-उ0नि0 श्री रंजीत सिंह प्रभारी स्वाट मय टीम जनपद बागपत।

BAGHPAT POLICE

थाना खेकडा

दिनांक 29-10-2026

थाना खेकडा पुलिस ने 03 अवैध पटाखा तस्करों को किया गिरफ्तार।



जनपद में आगामी दीपावली पर्व के दौरान अवैध पटाखों के भंडारण व व्यापार की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 03 अभियुक्तों 1.फिरोज पुत्र अब्दुल निवासी मौहल्ला शेखपुरी चेयरमैन के सामने वार्ड न0-09 कस्बा रटौल थाना खेकड़ा जिला बागपत, 2.अमजद पुत्र इश्तकार निवासी मौहल्ला राजनगर चेयरमैन के सामने वार्ड नं0-09 कस्बा रटौल थाना खेकड़ा जिला बागपत, 3.इस्लाम उर्फ इस्लामू पुत्र नस्सर निवासी मौहल्ला शेखपुरी चेयरमैन के सामने वार्ड न0-09 कस्बा रटौल थाना खेकड़ा जिला बागपत को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से निर्मित अवैध पटाखे वजन करीब 50 किलोग्राम व तस्करी में प्रयुक्त एक गाडी AURA नं0 UP17-BT-3876 बरामद हुई हैं।

baghpatpolice

BAGHPAT POLICE

थाना बिनौली

दिनांक 29-10-2026

थाना बिनौली पुलिस ने 01 अभियुक्त को 01 अवैध तमंचे के साथ किया गिरफ्तार।

जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त रिहान पुत्र सलीम निवासी ग्राम धनौरा सिल्वरनगर थाना बिनौली जनपद बागपत को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 अदद जिंदा कारतूस .315 बोर के बरामद हुआ है।



baghpatpolice